न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 53/2020
3. उनवान : सरकार जरिये गोविन्दनारायण मीणा प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स उर्मिल गैस सर्विस, लालकोठी शोपिंग सेन्टर जयपुर
2. श्री प्रेमनिधि अग्रवाल पुत्र श्री नारायण महाजन पार्टनर फर्म
3. श्री विरेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनिधि अग्रवाल पार्टनर फर्म थाना बजाज नगर
4. श्री जयगोपाल शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा डिलीवरी मैन।

4. निर्णय दिनांक : 28.6.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री शेलेन्द्र खण्डेलवाल अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री गोविन्दनारायण मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द जब्ती माल, फर्द जब्ती रिकार्ड, सुपुर्दगीनामा, फर्द मौका जांच, फर्द तकपट्टी व जब्ती आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 22.08.2005 को मैसर्स उर्मिल गैस के डम्पिंग स्टेशनों पर जब्ती की कार्यवाही कर 66 खाली व 35 भरे हुये कुल 101 गैस सिलेण्डरों को मय गैस के जब्त किया। मैसर्स उर्मिल गैस सर्विस एवं भागीदारों द्वारा अवैध स्थलों पर एलपीजी का संग्रहण करना, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में गैस वितरण करना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, निरीक्षण के दौरान पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराना आदि गम्भीर अनियमिततायें पाई गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया था।

पूर्व में प्रकरण में दिनांक 20.03.2006 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा निर्णय पारित कर उक्त माल को राजसात करने के आदेश दिये गये थे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण की अपील माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश विशेष न्यायालय (सती निवारण) राज0 एवं अपर सैशन न्यायाधीश, जयपुर में की गई, जिसमें दिनांक 29.02.2008 को निर्णय पारित कर आदेश दिया कि "अपीलार्थीगण मैसर्स उर्मिल गैस सर्विस एवं प्रेमनिधि अग्रवाल, वीरेन्द्र अग्रवाल, जयगोपाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत यह नियमित दाण्डिक अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2006 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि इस मामले में उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में आवश्यक जांच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उन्हें सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे"। माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज कर पुनः सुनवाई हेतु रखी गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

13.10.2008 को जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने पूर्व में पेश जवाब प्रार्थना पत्र को ही अन्तिम जवाब मानते हुए अंकित तथ्यों को बहस मानने का कथन किया तथा आदेशिका पर लिखित में सहमति व्यक्त की।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2005 को जांच के दौरान 66 खाली व 35 भरे हुए गैस सिलेण्डर मय गैस जब्त किया गये। दौराने जांच कार्यवाही ऐजेन्सी द्वारा एलपीजी का भण्डारण अवैद्य डम्पिंग पाईन्ट पर किये जाने के कारण कुल 101 गैस सिलेण्डर सीज्ड किये। अप्रार्थीगण का यह कथन कि 100 सिलेण्डर ही जब्त किये गये हैं। काबिले इत्मीनान नहीं हैं क्योंकि एक सिलेण्डर एस.आर. नम्बर 4184308 जो शिकायत कर्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद को अप्रार्थी फर्म द्वारा 400/– रु. में विक्रय किया गया है को भी जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 101 सिलेण्डर जब्त किये गये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत अथवा दस्तावेज आदिनांक तक पेश नहीं किये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी श्री जय गोपाल शर्मा को कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित बताया है, जबकि फर्द जब्ती पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त सिलेण्डरों की संख्या को लेकर भी अप्रार्थी का जवाब संदेहास्पद है, क्योंकि फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगी पर BPCL के प्रतिनिधि व कांकरिया गैस एजेंसी के व्यवस्थापक के हस्ताक्षर भी है। जिसका खण्डन करने हेतु अप्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही कोई कथन किया है। इस प्रकार मैसर्स उर्मिल गैस सर्विस एवं भागीदारों द्वारा अवैध स्थलों पर एलपीजी का संग्रहण करना, निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में गैस वितरण करना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, निरीक्षण के दौरान पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराना आदि गम्भीर अनियमिततायें पाई गई है, जो राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 190 की शर्त संख्या 2 बी, 3, 6, 11 तथा द्रवित पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के शर्त संख्या 4 (2) 5, 9 डी का उल्लंघन है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थीगण की बदनियती जाहिर होती है तथा अवैध मुनाफे की आपराधिक मनःस्थिति भी सिद्ध होती है। साथ ही माननीय सैशन न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का भरपूर अवसर दिया गया। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा उक्त (LPG) गैस सिलेण्डरों के वैध उपयोग–उपभोग एवं बिक्री के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पूर्व में पारित निर्णय को उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर पूर्व निर्णयानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें कुल 101 गैस सिलेण्डर (66 सिलेण्डर खाली तथा 35 सिलेण्डर भरे हुये) मय गैस शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
तृतीय, जयपुर